न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मयंक मनीष, I.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 20/**17 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS No : 2017/00065

1. श्री हिम्मतसिंह पिता मोखमसिंह राजपूत निवासी मारूवास, वाडी तह. मावली।

............प्रार्थी

बनाम्

1. श्री गोपालसिंह पिता नाहरसिंह राजपूत निवासी मारूवास, वाडी तह. मावली।
2. श्री शिवसिंह पिता नाहरसिंह राजपूत निवासी मारूवास, वाडी तह. मावली।
3. श्री माधुसिंह पिता गोपालसिंह राजपूत निवासी मारूवास, वाडी तह. मावली।
4. श्री इन्दरसिंह पिता शिवसिंह राजपूत निवासी मारूवास, वाडी तह. मावली।
5. श्री हरिसिंह पिता शिवसिंह राजपूत निवासी मारूवास, वाडी तह. मावली।
6. श्री प्रताप सिंह पिता गोपालसिंह राजपूत निवासी मारूवास, वाडी तह. मावली।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
8. पटवारी, पटवार हल्का नउवा तह. मावली।

..............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री जसवन्त राय चौहान, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री भंवरलाल ओस्तवाल, अधिवक्ता विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 05.04.2021

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मारूवास पटवार हल्का नउवा की परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 1415 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मुझ प्रार्थी एवं मेरे परिवारजन कुसुमकुंवर, प्रेमकुंवर पिता मोखमसिंह, केसर कुंवर पत्नी मोखमसिंह के नाम पर 1/10 हि.ब. अंकित हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 1477/1402, 1480/1402, 1482/1402 किता 3 रकबा 15 बिस्वा उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर काबिल काश्त के रूप में अंकित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.27 11:54:56 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि परिशिष्ट अ में वर्णित कृषि आराजीयात में आवागमन करने के लिए 20 फीट चौडा रास्वा नउवा से चन्देसरा आने जाने की मुख्य सडक के पूर्वी दिशा एवं हमारी आराजी नम्बर 1415 के उत्तर दिशा के सटमा स्थित परिशिष्ट ब में अंकित भूमि में हमारी आराजी नम्बर 1415 की उत्तरी दिशा के सटमा बना हुआ है जिससे होकर मैं प्रार्थी एवं मेरे परिवारजन बिलानाम भूमि के दक्षिणी दिशा के सटमा स्थित हमारी उक्त वर्णित कृषि भूमि पर सदीप से कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाडी, ट्रेक्टर द्वारा लाते ले जाते आ रहे है तथा वर्तमान में मुझ प्रार्थी ने आराजी नम्बर 1415 में मेरे हिस्से की भूमि में से कुछ भूमि पर रास्ते के सटमा अपने निवास के लिए एक मकान निर्माण कराया है तथा बिलानाम जमीन में स्थित रास्ते की तरफ एक दरवाजा भी लगाया ताकि पहले की भांति ही मैं प्रार्थी व मेरे परिवारजन आराजी नम्बर 1415 में हमारे हिस्से की जमीन पर आवागमन कर सके। इसके अलावा हमारी जमीन में आवागमन करने या कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाडी, ट्रेक्टर लाने ले जाने का कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है और न ही कभी रहा है। वर्तमान में भी मैं प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग कर रहा हूं। किन्तु विपक्षी संख्या 1 से 6 उक्त बिलानाम जमीन में स्थित रास्ते से मुझ प्रार्थी को मेरी जमीन में आवागमन करने से रोक रहे है जबकि विपक्षी संख्या 1 से 5 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं।

3. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व निम्न आशय का आदेश प्रदान कराया जावे कि परिशिष्ट अ में अंकित आराजी में प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर पहुंचने तक के लिए परिशिष्ट ब में अंकित भूमि में परिशिष्ट अ में अंकित आराजी नम्बर 1415 के उत्तरी दिशा के सटमा ट्रेक्टर, बैलगाडरी सुगमता पूर्वक गुजरने की चौडाई में अर्थात् [illegible] चौडा मार्ग नउवा से चन्देसरा मुख्य सडक तक कायम किया जावे एवं उक्त [illegible] में कायम किये गये मार्ग का राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.27 11:54:56 IST
Reason: SelfAttested

रेकार्ड एवं राजस्व नक्शें में रास्ता के रूप में अमल दरामद व तरमीम किये जाने हेतु आदेशित किया जावें।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में हमने तहसीलदार मावली से बिन्दूवार रिपोर्ट प्राप्त की। विपक्षीगण द्वारा जवाब पेश नहीं कर प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. का पेश कर निवेदन किया कि किसी प्रार्थी को अपनी आराजी में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है तो वह पडोसी की खातेदारी की जमीन में मुआवजा देकर रास्ता ले सकता हैं। इस मामले में प्रार्थी यह कहकर आया है कि उसका रास्ता बिलानाम जमीन में से है तथा वह सदीप से इसी रास्ते से होकर जा रहा हैं। ऐसी अवस्था में बिलानाम जमीन की कार्यवाही करने का अधिकार धारा 91 रेवेन्यु एक्ट के अन्तर्गत तहसीलदार को होकर आप न्यायालय को नहीं हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं होकर खारिज योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस करना चाहा।

5. हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी। प्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल प्रार्थना पत्र धारा 251 ''क'' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी को आने जाने के लिए रेकार्डेड रास्ता नहीं होने से रास्ते का प्रकरण प्रस्तुत किया हैं जो राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार हैं। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में तहसीलदार मावली से प्राप्त बिन्दुवार रिपोर्ट का अध्ययन किया। प्रकरण में धारा 251 ''क'' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.27 11:54:56 IST
Reason: SelfAttested

तहत् किसी खातेदार को अपनी जोत तक आने जाने के लिए रास्ता नहीं होने पर वह पडोसी खातेदार की भूमि में से सशुल्क रास्ता प्राप्त कर सकता हैं।

7. प्रकरण में तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तुत की गई बिन्दुवार रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु सं. 1 में ''यह कि प्रार्थी खातेदार श्री हिम्मतसिंह पिता मोखमसिंह की खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 1415 रकबा 4.14 बीघा सामलाती कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी सहखातेदार होकर अपने हिस्से पर काबिज है, राजस्व रेकार्ड व मौका जांच में यह स्पष्ट पाया गया है कि उक्त खातेदारी भूमि ग्रामीण सडक पर स्थित है, इसलिए इस भूमि पर पहुंचने के लिए किसी रास्ते की अलग से आवश्यकता नहीं है चूंकि प्रार्थी खातेदार का हिस्सा सडक की ओर नहीं होकर पीछे की ओर है तथा सडक पर अन्य सहखातेदार काबिज है लेकिन शामलाती भूमि का बंटवाडा रेकार्ड में नहीं हैं। अतः प्रार्थी खातेदार का हिस्सा पूरी भूमि में सन्निहीत हैं तथा रास्ते की समस्या के लिए भूमि का बंटवाडा कराया जा सकता हैं।'' बिन्दु सं. 2 में ''प्रार्थी खातेदारी की स्वयं की शामलाती भूमि आराजी नम्बर 1415 मुख्य सडक पर होकर अन्य सहखातेदार सडक की ओर काबिज है। अतः प्रार्थी द्वारा अन्य दूसरे खातेदारों की भूमि में से रास्ता कायम करवाने की मांग सही नहीं हैं। अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं।'' इस सम्बन्ध में भी अप्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी के द्वारा बिलानाम जमीन से आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग करना बताया हैं।

8. प्रकरण में तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि प्रार्थी भूमि का सहखातेदार होकर खातेदारी भूमि ग्रामीण सडक पर स्थित होकर भूमि तक पहुंचने के लिए अलग से किसी रास्ते की आवश्यकता नहीं हैं। सामलाती भूमि होने से प्रत्येक का प्रत्येक इंच पर हिस्सा माना जाता हैं। प्रार्थी की मुख्य सड़क तक पहुंच होने से अलग से रास्ता कायम करने की आवश्यकता नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.27 11:54:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी चाहे तो सहखातेदारों के मध्य विभाजन कराकर सामलाती रास्ते की दाद प्राप्त कर सकता हैं। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. में भी अप्रार्थी द्वारा इस रास्ते का हवाला नहीं देकर बिलानाम जमीन से आने जाने का कथन किया हैं। चूंकि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में पहुंच मार्ग के लिए रास्ता उपलब्ध हैं तो नये रास्ते कायमी की आवश्यकता नहीं रह जाती हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. का आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 ''क'' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पोषणीय नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: : <u>आदेश</u> : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2021 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.27 11:54:56 IST
Reason: SelfAttested